

LL.B. V Sem. Examination, Dec. 2017
LAW Law of Evidence

Time: Three Hours]

(K-5003)

[M.M.:100

नोट : सभी खण्डों को निर्देशानुसार हल कीजिए।

Attempt all the Sections as per given instructions.

खण्ड-अ (Section-A)

Note: सभी पाँच प्रश्न हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। अधिकतम 75 शब्दों में अति लघु उत्तर अपेक्षित है। Attempt all the five questions. Each question carries 4 marks. Very Short Answer is required not exceeding 75 words.

1. अनुश्रुत साक्ष्य क्या होता है? What is hearsay evidence?
2. प्रत्यक्ष और पारिस्थितिक साक्ष्य में अंतर स्पष्ट कीजिये।
Differentiate between direct and circumstantial evidence.
3. विशेषज्ञों की राय से क्या अभिप्राय है? What is meant by 'Expert Opinion'?
4. पक्षद्रोही साक्षी कौन होता है? Who is Hostile witness?
5. भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत 'दस्तावेज' को परिभाषित कीजिये।
Define 'document' as under Indian Evidence Act

खण्ड-ब (Section-B)

Note: निम्नलिखित तीन प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। अधिकतम 200 शब्दों में लघु उत्तर अपेक्षित है।

Attempt any two questions out of the following three questions. Each question carries 10 marks. Short Answer is required not exceeding 200 words.

6. 'सबूत के भार' से सम्बन्धित नियमों की व्याख्या कीजिये।
Discuss rules regarding 'burden of proof'.
7. सक्षम साक्षी कौन होता है? क्या सह-अपराधी किसी अभियुक्त के विरुद्ध सक्षम साक्षी हो सकता है? Who is a competent witness? Can an accomplice be regarded as competent witness against the accused?
8. प्रतिपरीक्षा में कौन-कौन से प्रश्न विधिपूर्ण होते हैं? प्रतिपरीक्षा-कौन कर सकता है?
What questions are lawful in cross examination? Who can cross-examine?

खण्ड-स (Section-C)

Note: निम्नलिखित पाँच प्रश्नों में से किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का है। विस्तृत उत्तर अपेक्षित है। Attempt any three questions out of the following five questions. Each question carries 20 marks. Answer is required in detail.

9. भारतीय साक्ष्य अधिनियम में उल्लिखित 'विबन्ध' की विधि की सोदाहरण व्याख्या कीजिये। Discuss with illustrations the law regarding 'estoppel' as laid down in the Indian Evidence Act.
10. स्वीकृति को परिभाषित कीजिये तथा इसका संस्वीकृति से अंतर स्पष्ट कीजिये। क्या एक व्यक्ति जिसने कोई स्वीकृति की है अपनी स्वीकृति को स्वयं सिद्ध कर सकता है?
Define an admission and distinguish it with confession. Can an admission be proved by a person who makes it?

11. 'तथ्यों की सुसंगतता' से संबंधित नियमों की व्याख्या भारतीय साक्ष्य अधिनियम के संदर्भ में कीजिये। Discuss the important rules regarding 'relevancy of facts' as laid down in the Indian Evidence Act.
12. एक वैध 'मृत्युकालीन घोषण' की क्या अनिवार्यताएँ हैं? व्याख्या कीजिये। क्या दोष-सिद्धि के लिए मृत्युकालीन घोषणा को एकमात्र आधार बनाया जा सकता है?
Discuss the essentials of a valid 'dying declaration'. Can a dying declaration form the sole basis of a conviction?
13. चरित्र का साक्ष्य दीवानी और आपराधिक मामलों में कब सुसंगत होता है? क्या पूर्व खराब चरित्र का साक्ष्य दीवानी मामलों में सुसंगत होगा? When does evidence of character become relevant in civil and criminal cases? Whether evidence of previous bad character would be relevant in civil cases? OR प्राथमिक एवं द्वितीयक साक्ष्य के बीच अन्तर स्पष्ट कीजिये। उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिये जिनमें कि दस्तावेजों के विषय में द्वितीयक साक्ष्य दी जा सकती है।
Differentiate between primary and secondary evidence. Discuss the circumstances under which secondary evidence relating to documents may be given.